

विधान सभा अंतराक्षित प्रश्न क्रमांक 4068
 द्वारा मान. विधायक श्री प्रदीप पटेल,

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

चल्लग भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ/37-2845/2019/नियम/चार
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 17-01/2020

प्रमुख सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 जनजातीय कार्य विभाग
 भोपाल।

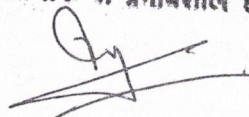
विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 में जनजातीय कार्य विभाग (पूर्व नाम आदिम जाति कल्याण विभाग) मध्यप्रदेश को सरल क्रमांक 18, 19, 20 एवं 27 के अन्तर्गत वर्तमान प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को अधिकमित करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-

क्रमांक	मद	प्राधिकारी	वित्तीय अधिकार की सीमा	शर्तें
18.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण कार्यों का प्रशासकीय अनुमोदन	1. कलेक्टर	₹. 50.00 लाख	सक्षम प्राधिकारों से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति उपरांत
		2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास	₹. 10.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति उपरांत
19.	आदिवासी कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माणों के विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी मंजूरी	1. कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्री के समान	प्रचलित दर अनुसूची पर प्राक्कलन अनुसार
		2. सहायक यंत्री आदिवासी विकास	कार्य विभाग के सहायक यंत्री के समान	प्रचलित दर अनुसूची पर प्राक्कलन अनुसार
	विभागीय संस्थाओं के भवनों में सामान्य मरम्मत के कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना	1. कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्री के समान	
		2. सहायक यंत्री आदिवासी विकास	राशि रुपये 50,000/- तक	

20.	निर्माण कार्य की निविदाएं, ठेके तथा अनुबंध को स्वीकार करने तथा निविदा दर स्वीकृत की शक्ति	1. संभागीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष	कार्य विभाग मुख्य अभियंता के समान	कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास विभाग के अभिमत पर
		2. कलेक्टर	कार्य विभाग अधीक्षण यंत्री के समान	कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास विभाग के अभिमत पर
		3. परियोजना प्रशासक / संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग / जिले के विभाग के अधिकारी	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्रों के समान	कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास विभाग के अभिमत पर
		4. कार्यपालन यंत्री जनजाति कल्याण विभाग	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्रों के समान	-
23.	निर्माण कार्यों के रनिंग बिलों को पारित करना	सहायक आयुक्त / कार्यपालन यंत्री / जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	निर्माण कार्य का मूल्यान विभाग के उपयंत्री के द्वारा माप दर्ज उपरांत विभाग के सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नियमानुसार माप सत्यापन किये जाने पर
24.	निर्माण कार्य का अंतिम देयक पारित करना	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	देयक का विभाग के उपयंत्रीद्वारा मूल्यांकन, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा सत्यापन तथा जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन उपरांत
27.	विशेष मरम्मत की मंजूरी देने की शक्ति	1. संभागीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष	₹.5.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी प्रतिवेदन / स्वीकृति उपरांत
		2. कलेक्टर	₹.1.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी प्रतिवेदन / स्वीकृति उपरांत
		3. परियोजना प्रशासक / संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग	₹.50 हजार	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी प्रतिवेदन / स्वीकृति उपरांत

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अज्ञय चौक)
उप सचिव

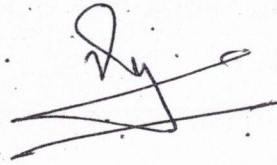
म.प्र.शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 01/01/2020

पृष्ठ क्रमांक
प्रतिलिपि-

/2845/2019/नियम/चार

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

(राजेश कुमार बाजपेयी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग



क्षेत्र संयोजक
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना
भोपाल (म.प्र.)